



2026:AHC-LKO:41345

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 4261 वर्ष 2026

जमील

.... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव गृह लखनऊ

....विरोधी पक्षकार(गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता	: मनोज कुमार सिंह
विरोधी पक्षकार (गण) के अधिवक्ता	: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या-11

माननीय न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी

1. श्री मनोज कुमार सिंह, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, श्री मोती चंद यादव, अधिवक्ता जिन्होंने आज न्यायालय में शिकायतकर्ता की ओर से अपना वकालतनामा दाखिल किया और उसे अभिलेख पर लिया गया तथा राज्य के विद्वान अपर

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



शासकीय अधिवक्ता श्री पी० एस० त्रिवेदी को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

2. प्रस्तुत आवेदन मुकदमा अपराध संख्या 29 वर्ष 2026 धारा 85, 80(2) बी० एन० एस० तथा धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत थाना मल्हीपुर, जिला श्रावस्ती में पंजीकृत में आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने की मांग करते हुए दाखिल किया गया है।

3. उपरोक्त मुकदमा आवेदक, उसकी माता, उसके भाई और उसकी भाभी के विरुद्ध 16.02.2026 को दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर पंजीकृत किया गया यह कहते हुये कि शिकायतकर्ता ने अपनी पुत्री का विवाह 19.05.2025 को आवेदक के साथ कराया था। अभियुक्तगण दहेज से संतुष्ट नहीं थे और वे उसकी पुत्री को प्रताड़ित किया करते थे। 15.02.2026 को शिकायतकर्ता की पुत्री ने उसे बताया कि अभियुक्तगण उसे मार रहे थे और दहेज की मांग कर रहे थे। आवेदक ने लगभग 10:00 बजे रात्रि में टेलीफोन किया और शिकायतकर्ता से कहा कि उसकी पुत्री की मृत्यु हो गई।

4. शव-परीक्षण आख्या में गर्दन के सामने 24 सेमी० x 1.5 सेमी० आकार का लिगेचर चिह्न विद्यमान होना और गर्दन के पिछले भाग के दोनों ओर जाना, गर्दन के पिछले भाग पर 10 सेमी० का अंतराल विद्यमान होना और लिगेचर चिह्न दाहिने कान से 4 सेमी० नीचे, बाएं कान से 1.5 सेमी० नीचे, ठोड़ी के मध्य से 5 सेमी० नीचे स्थित होना उल्लिखित है। बाएं पैर के अंगूठे पर 2 सेमी० x 2 सेमी० आकार

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



का एक खरोंच विद्यमान था। मृत्यु का कारण मृत्यु-पूर्व फांसी लगाने के कारण श्वासावरोध होना अभिमत किया गया है।

5. जमानत आवेदन के समर्थन में दाखिल शपथपत्र में यह कहा गया है कि आवेदक निर्दोष है, उसे वर्तमान मुकदमे में झूठा फंसाया गया है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

6. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक की माता ननकई को प्रभारी सत्र न्यायाधीश, श्रावस्ती द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 133 वर्ष 2026 में पारित दिनांक 23.02.2026 के आदेश के माध्यम से अग्रिम जमानत प्रदान की गई है।

7. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता और शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का विरोध किया और विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आरोप स्थापित किए गए हैं और 25.04.2026 को आरोप-पत्र दाखिल किया गया है। शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि मृतका की मृत्यु उसके विवाह के प्रथम वर्ष के भीतर अभियुक्तगण द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के कारण हुई है।

8. मुकदमे के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मारपीट का आरोप शव-परीक्षण आख्या के निष्कर्षों से समर्थित नहीं है; कि दहेज की मांग का आरोप अस्पष्ट है; कि आवेदक का कोई आपराधिक

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



इतिहास नहीं है और वह 18.02.2026 से जेल में निरुद्ध है जबकि विवेचना पहले ही पूर्ण हो चुकी है, मेरा मत है कि उपरोक्त तथ्य आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने का मामला बनाए जाने के लिए पर्याप्त हैं।

9. तदनुसार, यह जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

10. आवेदक- **जमील** को उपरोक्त मुकदमे में संबंधित मजिस्ट्रेट/न्यायालय की संतुष्टि पर समान धनराशि के दो जमानतदारों और एक व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत किए जाने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा;

(ii) आवेदक अभियोजन साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा;

(iii) आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक तारीख पर उपस्थित होगा।

(न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी)

17 जून 2026

आरती/-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।